

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक ९९७ / १२-१.

दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर ०९ / २०१९

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई०डी०एस० दिनांक १८.०४.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग गैरसैण की पत्र सं० १११३/१एल०ए० दिनांक २४.०८.२०१९ से अपनी आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

क्र० सं०	प्रस्ताव में आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
१.	As per perusal of KML file of the road, it is seen that the road cuts through dense forest including felling of 1190 trees but seems to be connected from other side from the road network.	प्रस्तावित मोटर मार्ग गैरसैण ब्लॉक को नारायणबगड़ को जोड़ने हेतु वैकल्पिक तथा न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिससे सम्बन्धित प्रपत्र Justification के नाम से Additional file up load कर दी गयी थी। Justification संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न-१
२.	In reply of points no- 06 digital map of road is not C/S of dfo.	Part I के para C (III & iv) में संशोधित कर upload कर दिया गया है।
३.	Reply to point no-08,10,12,18 and 19 of previous eds still not corrected.	बिन्दु सं० ०८ में Justification के नाम से additional file upload कर दी गयी थी। बिन्दु सं० १० में ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः Part-A k में file upload कर दिया गया है।- संलग्न-२ बिन्दु सं०-१२ में ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः Part-I additional file upload कर दिया गया है। बिन्दु सं०-१८ के अनुसार केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न की गयी है। संलग्न-३ बिन्दु सं०-१९ में justification के नाम से additional file upload पुनः कर दी गयी थी।
४.	In reply to point no 09 C/B analysis now required in new format.	New format. में बना कर Part-I के para G i (a) में upload पुनः कर दिया गया है। जिसे संलग्न कर प्रेषित की जा रही है -संलग्न ४
५.	In reply to point no- 14 and 18 CA area seems to be changed from kimoli to gherbunga. But revised CA schme is not submitted uploaded along with site suitability certificate.	बिन्दु सं० १४ में नई दरों पर गठित कर Part-I Additional information Revised CA scheme के नाम से अपलोड कर दिया गया है, तथा बिन्दु सं० १८ का निराकरण संयुक्त निरीक्षण के नाम से Part I additional information के नाम से अपलोड कर दिया गया है। संलग्न-५

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक-९९७ / १२-१

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 1113 / 14A

दिनांक 24/08/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय :- दिवालीखाल, किमोली से नारायणबगड मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-FP/UK/ROAD/11039/2015 ,EDS dated 18.04.2019

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्र	आपत्ति	निराकरण किया गया या नहीं
1	As per perusal of KML file of the road , it is seen that the road cuts through dense forest including felling of 1190 trees but seems to be connected from other sides from the road network .	प्रस्तावित मोटर मार्ग गरसैण ब्लॉक को नारायणबगड को जोड़ने हेतु वैकल्पिक तथा न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिससे सम्बन्धित प्रपत्र Justification के नाम से Additional file up load कर गयी थी।
2	In reply of points No-06 digital map of road is not c/s by dfo.	Part I के Para C (iii & iv) में संशोधित कर Upload कर दिया गया है।
3	Reply to point N0- 08,10,12,18 and 19 of previous EDS still not corrected.	बिन्दु स0-8 में Justification के नाम से Additional file up load करदी गयी थी। बिन्दु स0-10 में ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः Part -I k में file up load कर दिया गया है। बिन्दु स0-12 में ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः Part -I Additional file up load कर दिया गया है। बिन्दु स0-18 के अनुसार केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग द्वारा प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न की गयी है। बिन्दु स0-19 में Justification के नाम से Additional file up load पुनः करदी गयी थी।
4	In Reply to point no 09 C/B analysis now required in new format.	new format. में बना कर Part -I के Pera G i (a) में up load पुनः कर दिया गया है।
5	In reply to point No- 14 and 18 CA area seems to be changed from Kimoli to Gherbunga But revised CA sehme is not submitted uploaded along with site suitability certificate.	बिन्दु सं0 14 में नई दरों पर गठित कर PART-I Additional information Revised CA sehme के नाम से अपलोड कर दिया गया है तथा बिन्दु संख्या 18 का निराकरण संयुक्त निरीक्षण के नाम से PART-I Additional information के नाम से अपलोड कर दिया गया है।

महोदय उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी सिविल भूमि 13.044 हे0 उपलब्ध होने में अधिक समय लगा जिस का निराकरण करने में 90 दिनों से अधिक का समय लगा।

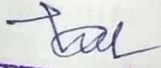
- संलग्न - ① Cost Benefit 4 प्रति
② Justification 4 प्रति
③ संयुक्त निरीक्षण की आख्या - 4 प्रति
(4) CA Estimate 10 years
(5) ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

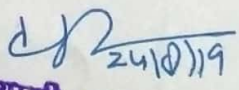
1463
12-1
21/9/2019
प्रमाणित - 42 न.थ वन प्रभाग

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)।

Justification

प्रस्तावित मोटर मार्ग दिवालीखाल से किमोली नारायणबगड 6.12 है० जो कि एन०एच० 109 के दिवालीखाल नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, जिसमें प्रथम भाग 5.00 किमी० लम्बाई में वन विभाग द्वारा पूर्व में मोटर मार्ग बना हुआ है। इसी 5.00 कि०मी० का कुछ भाग ब्रद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर तथा कुछ भाग केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के अधीन है एवं ब्रद्रीनाथ वनप्रभाग तथा केदारनाथ वनप्रभाग गोपेश्वर द्वारा मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्राप्त कर पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से गैरसैण का नारायणबगड से सीधा सम्पर्क हो जायेगा, जो कि न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक मोटर मार्ग होगा जिसके बन जाने से गैरसैण से नारायणबगड कि दूरी 29.00 किमी कम हो जायेगी। उक्त मोटर मार्ग जो 5.00 किमी० वन विभाग द्वारा पूर्व में बना हुआ है तथा मात्र 4.100 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अवशेष है। क्योंकि 5.00 किमी० पूर्व से वन विभाग द्वारा निर्मित है। उक्त निर्मित मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आग किमोली - नारायणबगड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव होगा। विभाग द्वारा प्रस्तावित समरेखण में ही न्यूनतम वृक्षों का पातन सम्भव है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य समरेखण सम्भव नहीं है, जिससे कि कम वृक्षों का पातन हो सके। उक्त मोटर मार्ग के बन जाने से विधानसभा कर्णप्रयाग का सीधा सम्पर्क विधानसभा थराली से हो जायेगा तथा कर्णप्रयाग-नारायणबगड मोटर मार्ग जिसका अधिकतम भाग पिण्डर नदी के किनारे से होकर गुजरता है। जो कि बरसात में कई बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति में यह मोटर मार्ग एक वैकल्पिक एवं महत्वपूर्ण मोटर मार्ग होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार आन्दोलन भी किया गया है एवं किया जा रहा है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोबिबिदि
गैरसैण (चमोली)


अधिसायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोबिबिदि
गैरसैण (चमोली)

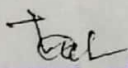
COST BENEFIT ANALYSIS

As per MOEF & CC guideline No. 7-69/2011-FC(PL) dated 1 August 2017

NAME OF PROJECT:-CONSTRUCTION OF DIWALIKHAL KIMOLI MOTOR ROAD under PWD GAIRSAIN

Table B: Estimation of cost of Forests Diversion

SL. No	Particulars	Roads, Tr. lines
1	Ecosystem services losses due proposed forest diversion @8.45 lac / ha	The estimated NPV (Economic value of loss of ecosystem service) of the 6.522 Ha forest land is Rs 55.11 Lac
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder (NPV 6.522*8.45=55.11 Lack)	10% of NPV (55.11x10%=5.51 Lack)
3	Cost of human resettlement	There is no displacement due to the project. Therefore the cost of human resettlement is Rs 0.000
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project	Nil
5	Possession value of forest land diverted	30% of NPV (55.11x 30%=16.53 Lack)
6	Cost of Suffering to oustees.	Nil
7	Habitat Fragmentation cost	
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The estimated cost of raising the CA in 13.044 Ha is Rs 27.64 Lac for 10 years Considering discounting rate 12% for future 100 years, the present value Rs
	Total Environmental Loss	104.79 Lac


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
 गैरसाँ (चमोली)

NAME OF PROJECT:-CONSTRUCTION OF DIWALIKHAL KIMOLI MOTOR ROAD under PWD GAIRSAIN

Table C:- Estimation of cost of Forests Diversion

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	Saving in cartage of material by Vehicle instead of head load Rs 800 per person / per Year $(1200 \times 800) / 100000 = \text{Lac } 9.6 \text{ Lac}$ Saving in 100 year = 960.00 Lac
2	Benefits to economy due to specific project	Agricultural production @5000 per person /per year $(1200 \times 5000) / 100000 = 60.00 \text{ Lac}$ Cost of About Agricultural production for 100 year = Rs 6000.005 lac
3	No. of population benefited due to specife Project.	1200.00 People will be benefited
4	Economic benefits due to direct and indirect employment due to the Project .	Direct Employment 20% Population will get employed for 200 days @450Per day $= (0.20 \times 1200 \times 200 \times 400) / 100000 = 163.20 \text{ Lac}$
5	Economic benefits due to Compensatory afforestation .	30% of Nap = 16.53 lac considering discounting rate 4% for future 100 years the present value for one year Rs $16.53 \times 4\% = 0.66 \text{ Lac}$. For 100 years Rs $0.66 \times 100 = 66.00 \text{ Lac}$
6	Total Benefits derived from the project	7189.20 Lac

Benefit Cost Ratro = $7189.20 / 104.79 = 68.60 \text{ Lac}$

It is clear from above analysis that construction of above project is more beneficial than Environmental loss .

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोन्गिचि
गैरसैन (चमोली)

24/01/19
Executive Engineer
Construction Division
PWD Gairsain

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम किमोली
जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.257 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 2.265 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.522 हे० वन भूमि का लो० नि० वि०/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किमोली द्वारा दिनांक 21/03/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-



ह०/-

सरपंच



संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 28-06-2017 को जनपद चमोली के अन्तर्गत दिवालीखाल -किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग 9.1 कि०मी० निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया । जिसमें केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रतिनिधि श्री प्रताप सिंह बुटोला वन क्षेत्राधिकारी एवं श्री बलबीर सिंह नेगी वन दरोगा तथा लोक निर्माण विभाग गैरसैंण से श्री प्रेम पन्त कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री रघुवीर लाल अमीन उपस्थित थे। जिसमें 04 कि०मी० (2.8 हे०) भूमि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के अन्तर्गत पड़ती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा पूर्व में 05 कि०मी० मोटर मार्ग निर्मित है। जिसका मात्र भूमि हस्तान्तरण लो०नि०वि० गैरसैंण को किया जाना है। वन विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 05 कि०मी० मोटर मार्ग के अन्तर्गत वृक्षों पातन नहीं किया जाना है।

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

वी.एस.नेगी
वन दरोगा अनुभाग
लो०नि०वि० गैरसैंण
के.व.जी.प्रभाग गोपेश्वर

प्रताप सिंह बुटोला
वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

अभिजात अभियन्ता
निर्माण बण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

JE

AE
सहायक अभियन्ता
निर्माण बण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य: प्रारंभिक

कार्य का नाम - जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है० वन भूमि को लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.10 कि०मी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण अन्तर्गत

वृक्षारोपण स्थल का नाम - घेरबूंगा सिविल।

क्षेत्रफल - $6.522 \times 2 = 13.044$ है०

रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल x 2000) = $13.044 \times 2000 = 26088$ पौध

रोपित प्रजाति (प्रस्तावित) - बांज, फनियाट, सुरई, देवदार, काफल आदि।

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु०)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
प्रथम वर्ष					
1	सर्वे एवं सीमांकन	हे०	13.044	115.00	1500.06
2	स्थल सफाई कार्य	हे०	13.044	3730.00	48654.12
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग(150 मी०प्र०है०= 81 घ०मी०@ 121 घ०मी०)	हे०	13.044	38637.00	503981.03
4	गढ़वा खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45 मी०) रेखांकन चूना सहित	सं०	26080	7.95	207336.00
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गढ़वा	कि०ग्रा०	456.54	770.00	351535.80
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	सं०	2608	6.20	16169.60
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे०) के आधार मानते हुए 1- वनस्पतिक/स्टोन चैक डैम- $8 \times 6725 = 53800.00$ 2- वाटर हारवेस्टिंग टैंक $(3 \times 2.50 \times 1.0) \times 7540 = 37700.00$ कुल योग - 91500.00	हे०	13.044	9150.00	119352.60
8	निरीक्षण बटिया बनाना	हे०	13.044	915.00	11935.26
				योग	1260464.47
द्वितीय वर्ष					
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	हे०	13.044	1887.00	24614.03
2	गढ़वा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	सं०	26080	1.42	37033.60
3	पौध डुलान कार्य	सं०	26080	9.00	234720.00
4	पौध रोपण कार्य	सं०	26080	2.77	72241.60
5	पौधों की प्रथम निराई-गुड़ाई मलचिंग कार्य।	सं०	26080	1.89	49291.20
6	पौधों की द्वितीय निराई-गुड़ाई मलचिंग कार्य।	सं०	26080	1.63	42510.40
7	पौधों की कीमत-द्वितीय वर्ष	सं०	26080	1.80	46944.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष) (08 माह)	हे०	13.044	685.00/माह	71481.12
9	साईन बोर्ड आदि क्रय	हे०	13.044	1100.00	14348.40
				योग	593184.35
तृतीय वर्ष -10 प्रतिशत बीटिंग अप					
1	पौध की लागत	सं०	2609	8.00	20872.00
2	पौध डुलान कार्य	सं०	2609	9.00	23481.00
3	पुनः गढ़वा खोदना एवं रोपण कार्य	सं०	2609	4.40	11479.60
4	गढ़वा में गोबर खाद डालना लागत सहित	सं०	2609	1.95	5087.55
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	सं०	2609	1.63	4252.67
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष (प्रति है० प्रति माह)	हे०	13.044	685.00	47758.20
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे०	13.044	450.00	5869.80
				योग	118800.82

चौथम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
पंचम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
षष्ठम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
सप्तम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
अष्टम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
नवम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
दशम वर्ष				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह) 1 वर्ष	हे0	13.044	685.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	हे0	13.044	450.00
			योग	113091.48
			सम्पूर्ण योग	2764090.00
			या-	2764000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बदोनाय वन प्रभाग गोपेश्वर
(घमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
विष्णु दिग्वर राज
काराचण्डल